

# मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया

(सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)



## प्रवेश विवरणिका Admission Brochure



(Website: <https://www.mathurapgcollege.com>)

# मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## रसड़ा-बलिया

प्रवेश आवेदन, शैक्षणिक सत्र: 2022-23

### प्रवेश आवेदन सम्बन्धित विशेष सूचना 2022-23

अभ्यर्थी प्रवेश फार्म भरने के पूर्व निम्न सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें-

- आवेदन कर्ता अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करे। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनायें (Login/OTP) बाधित हो जायेगी।
- प्रवेश आवेदन—पत्र भरते समय मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि, अधिभार (Weightage) और प्रवेश विषय सोच समझ कर अंतिम रूप में स्पष्ट लिखें, क्योंकि Save करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
- प्रवेश आवेदन फार्म Online भरना है। इस स्तर पर आवश्यक सुधार किया जा सकता है।
- अंतिम रूप से भरे गए फार्म के पश्चात् आवश्यक निर्धारित पंजीकरण शुल्क (Fee) ₹0 200/- (दो सौ रुपया मात्र) Online जमा करें, तत्पश्चात् Print Receipt प्राप्त कर लें। रसीद निर्गत होने के पश्चात् ही आप द्वारा भरा गया आवेदन फार्म अंतिम रूप से मान्य होगा।
- उपयुक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन—पत्र में कोई कमी आपको प्रवेश से वंचित कर सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आप अपना आवेदन पत्र एक पंजीकरण शुल्क की प्रिन्ट कॉपी काउसिलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

### प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश (Rules and Instructions for Admission)

- जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की प्रवेश समिति में पारित प्रवेश नियमावली के आधार पर सम्पन्न होगी।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जायेगा।
- आवेदन—पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।
- प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन फार्म की एक प्रति, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपेक्षित समस्त अंक पत्र / प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करके लाना अनिवार्य है।
- वर्ष 2020 के पूर्व इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।
- प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया बन्द हो जाने के बाद इसे पुनः किसी भी दशा में प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का ही मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा। किसी भी दशा में प्रवेश आवेदन नहीं करने वाले एवं निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेशावेदन पत्र न भरने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा।

8. वर्ष 2020 के पूर्व स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातकोत्तर कक्षा में सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा वाणिज्य वर्ग/कला वर्ग/विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
10. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
11. प्रवेश आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन एक ही साथ किया जायेगा तथा निर्धारित सीटों के आधार पर प्रवेश मेरिट के क्रम में होगा।
12. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण नियमों के अन्तर्गत सम्पन्न होगी।
13. अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी जो शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत शासन द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर आय प्रमाण—पत्र मूल रूप में प्रवेश के समय प्रवेशावदेन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
14. प्रवेश के समय शुल्क के साथ रथानान्तरण प्रमाण—पत्र (टी०सी०), प्रवजन प्रमाण—पत्र (माइग्रेशन) मूलरूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
15. विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार प्रवेश संबंधी निर्णय का अंतिम अधिकार प्राचार्य का है। वह किसी को भी बिना किसी कारण का उल्लेख किये उसके प्रवेश को अस्वीकृत कर सकते हैं।
16. अभ्यर्थी गण विषयों का चयन भली—भाँति सोच समझकर करें। इसके लिए विश्वविद्यालय से स्वीकृत विषयों की संस्तुतियाँ (Combination of Subjects) एवं मान्य प्रतिबंध दिया जा रहा है। इसका अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
17. प्रवेश के अर्ह अभ्यर्थियों की सूची कालेज के वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी। इसके साथ ही प्रवेश सूची को नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जायेगी।
18. विषय परिवर्तन सम्बन्ध नहीं होगा और न ही शुल्क आदि का समायोजन किया जायेगा। बी०ए० में अधिकतम दो ही प्रयोगात्मक विषय लिए जा सकते हैं।
19. प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालय के सूचनापट का निरन्तर अवलोकन करें।

### **(1) अधिकतम अंतराल (गैप)-दो वर्ष अनुमन्य।**

सन् 2020 के पूर्व इण्टरमीडिएट/स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। एक वर्ष के अंतराल पर 5 गुणांक तथा दो वर्ष के अंतराल पर 10 गुणांक की कटौती के पश्चात् योग्यता गुणांक का निर्धारण होगा। अंतराल हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ—पत्र की मूल प्रति प्रवेश के समय उपलब्ध कराये। शपथ—पत्र इस आशय का होगा कि अभ्यर्थी के अंतराल वर्ष/वर्षों में कहीं प्रवेश नहीं लिया था और न ही अनुचित साधन प्रयोग में दंडित किया गया था। अर्ह न होने की स्थिति में, विद्यालय/महविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा दण्ड स्वरूप/रिस्टीकेशन/सस्पेन्शन आदि के कारण प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

## (2) अधिभार के नियम

अधिभार श्रेणी-A	(अ) राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय / अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेल कूद के लिये या	-10 गुणांक
अधिभार श्रेणी-B	(ब) मण्डल स्तरीय खेल कूद के लिये / अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता (अ) एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण पत्र NCC(B) या (ब) एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र NCC(C) या (अ) एन.एस.एस. 240 घण्टे की सेवा तथा एक शिविर (NS) या (अ) रोवर्स / रेंजर्स प्रवीण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी (RR-1) या (ब) रोवर्स / रेंजर्स निपुण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी (RR-2) या (स) रोवर्स / रेंजर्स राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी (RR-3)	-05 गुणांक -05 गुणांक -15 गुणांक -15 गुणांक -05 गुणांक -10 गुणांक -15 गुणांक

**नोट: अधिकतम अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।**

## (3) आरक्षण

आरक्षण संवर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति के लिए क्रमशः 21,02, तथा 27 प्रतिशत स्थान (कुल 50 प्रतिशत) आरक्षित है। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। केवल नवीन निर्धारित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। **आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो आवेदन में उसका उल्लेख किये होंगे।**

➔ आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित है। जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुजनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सूची में सूचीबद्ध न हो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रमाण पत्र का नमूना आगे के पेजों पर संलग्न है।

नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

## क्षैतिज आरक्षण/(Horizontal reservation)

- दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों के लिए (दृष्टिहीन / कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) पृथक—पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
- उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र—पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
- सम्बन्धित महाविद्यालय के कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा—पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5—5 प्रतिशत स्थान (कुल 10 प्रतिशत स्थान) सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
- महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

नोट: दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता 60% या 60% से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

## महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संकायवार विषयों की सूची-

### A. भाषा संकाय

1. हिन्दी
2. संस्कृत

### B. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

1. भूगोल
2. शिक्षाशास्त्र
3. राजनीतिशास्त्र
4. अर्थशास्त्र
5. समाजशास्त्र

विश्वविद्यालय के निर्देशों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में (जिसके अनुसार अभ्यर्थी के विषय आवंटन में—तीन मुख्य (मेजर) विषय, एक माइनर इलेक्टिव विषय, एक व्यावसाकि / कौशल विकास कोर्स तथा एक सह पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना अनिवार्य है) निम्नलिखित विषय पुंज का निर्धारण किया गया है—

क्रम सं०	मुख्य (मेजर) विषय	माइनर इलेक्टिव	व्यवसायिक / कौशल विकास	सह पाठ्यक्रम
1.	भूगोल, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र	हिन्दी / संस्कृत		
2.	भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र	हिन्दी / संस्कृत	"	"
3.	भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र	हिन्दी / संस्कृत	"	"
4.	भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र	हिन्दी / संस्कृत	"	"
5.	शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र	हिन्दी / संस्कृत	"	"
6.	हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, भूगोल	समाजशास्त्र / अर्थशास्त्र	"	"
7.	शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत	समाजशास्त्र / अर्थो / राजो	"	"
8.	भूगोल, हिन्दी, संस्कृत	समाजो / अर्थो / राजो	"	"
9.	शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी	राजो / अर्थो	"	"

नोट— सभी अभ्यर्थी अपने काउन्सिलिंग लेटर में वरीयता क्रम के अनुसार सभी विषय पुंज की क्रम संख्या का चयन करेंगे । उनकी मेरिट के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा विषय पुंज का आवंटन किया जायेगा । प्रवेश समिति द्वारा विषय पुंज के आवंटन के बाद, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा ।

**कॉउन्सिलिंग-** महाविद्यालय द्वारा निर्धारित काउन्सिलिंग तिथि को समस्त मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र लाना अनिवार्य है । प्रवेश के समय मूल टी०सी०/माइग्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः तथा अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों (हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट) की छाया प्रति /दो प्रतियों में अनिवार्यतः जमा करना होगा । तथा जाति प्रमाण पत्र एवं अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा ।

**नोट-** एम०ए० समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया बी०ए० तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होगा । जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालय की सूचना पट्ट पर दे दी जायेगी ।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य जो 30प्र० हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति अनु०जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचिबद्ध नहीं है उनके द्वारा नीचे दिये गये नमूने पर 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए काउन्सिलिंग के समय प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र देना होगा।

प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र के अभाव में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

कार्यालय-लाप संख्या-3/2019/4/1/2002/क-2/19टी.डी.सी., दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(पपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....


तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, वर्षोंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



आदेक का पासपोर्ट साईज का  
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी  
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस .....  
थाना ..... ब्लाक ..... तहसील .....  
जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित मैं से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

  - I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
  - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
  - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
  - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विस्तृद्वंद्व की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

